बिहार सरकार
<u>गन्ना उद्योग विभाग</u>

पत्रांक– 01 / बजट–822 / 2026– **/ पटना, दिनांक** **अगस्त, 2026**

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा॰प्र॰से॰,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः– **बंद मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) चीनी मिल की 266 (दो सौ छियासठ) एकड़ भूमि मेसर्स इण्डियन पोटाश लि० से वापस लेने हेतु Arbitration Court एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में मेसर्स इण्डियन पोटाश लि० को मूलधन की राशि भुगतान करने हेतु मो० 28,10,00,000.00 (अठाईस करोड़ दस लाख) रूपये निकासी की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय–3 के तहत ''समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार'' अन्तर्गत बंद चीनी मिलों का पुनः परिचालन एवं नई चीनी मिलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध सभी विकल्पो पर विचार किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में निविदा के माध्यम से बिहार राज्य चीनी निगम लि० की बंद इकाई–मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) में चीनी मिल की स्थापना हेतु मेसर्स इण्डियन पोटाश लि० को निविदा के माध्यम से निविदित राशि मो० 56.20 करोड़ रूपये में मेसर्स इण्डियन पोटाश लि० को मोतीपुर चीनी मिल की भूमि लीज पर हस्तांतरित की गयी थी। मेसर्स इण्डियन पोटाश लि० द्वारा निविदित राशि का 50 प्रतिशत अर्थात् मो० 28,10,00,000.00 (अठाईस करोड़ दस लाख) रूपये जमा किया गया।

2. मेसर्स इण्डियन पोटाश लि० द्वारा चीनी मिल की स्थापना के लिए कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि कम भूमि एवं अतिक्रमण का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को जमा की गयी राशि को सूद सहित वापस करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में Arbitrator नियुक्त करने के लिए Request Case No.–03 / 2016 वाद दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त Arbitrator द्वारा Award पारित कर सूद सहित राशि मेसर्स इण्डियन पोटाश लि० को वापस करने का आदेश दिया गया। Arbitrator के द्वारा पारित Award के आलोक में मेसर्स इण्डियन पोटाश लि० के द्वारा Award को Execute कराने हेतु जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना में Execution Case No. 43/2020 दायर किया गया। माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा Execution Case No.43/2020 में पारित आदेश निम्नवत है :–

"The award debtors are directed to deposit the award amount along with interest payable, before this court."

3. बंद मोतीपुर (मुजफ्फरपुर) चीनी मिल की 266 (दो सौ छियासठ) एकड़ जमीन मेसर्स इण्डियन पोटाश लि० से वापस लेने हेतु आर्बिट्रेशन न्यायालय एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में मेसर्स इण्डियन पोटाश लि० को भुगतान करने हेतु मो० 63,39,14,958.00 (तिरसठ करोड़ उनचालीस लाख चौदह हजार नौ सौ अनठावन) रूपये व्यय की स्वीकृति दिनांक–08.07.2026 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–6 के रूप में दी गयी है।

4. मेसर्स इन्डियन पोटाश लि० से प्राप्त राशि कुल मो० 28,10,00,000.00 (अठाईस करोड़ दस लाख) रूपये चालान के माध्यम से मुख्य शीर्ष–R0852.80.800.0001 में जमा की गयी थी, जिसे सचिवालय

Ajit sir.let 99

कोषागार, विकास भवन, पटना के पत्रांक–283, दिनांक–28.07.2026 के द्वारा सत्यापित किया गया है, जो निम्नवत् है :–

जमाकर्ता का नाम	विपत्र कोड	चालान की राशि	कोषागार चालान का प्रमाणक संख्या एवं दिनांक
Principal Secretary, Sugarcane Department, Patna	R0852.80.800.0001	22,48,00,000.00	C/0852/00011 दिनांक–27.01.2011
Principal Secretary, Sugarcane Department, Patna	R0852.80.800.0001	5,62,00,000.00	C/0852/00015 दिनांक–18.10.2010

5. मूलधन एवं सूद के राशि के भुगतान/निकासी के संबंध में वित्त विभाग के परामर्शानुसार मूलधन की राशि की निकासी विपत्र कोड–R-0852.80.900.0009 विषय शीर्ष–00 21 के माध्यम से की जायेगी।

6. अतः मेसर्स इण्डियन पोटाश लि० को मूलधन की राशि मो० 28,10,00,000.00 (अठाईस करोड़ दस लाख) रूपये के भुगतान हेतु विपत्र कोड–R-0852.80.900.0009 विषय शीर्ष–00 21 के माध्यम से निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. स्वीकृत राशि की निकासी विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के द्वारा विभागीय खाता सं०–38676970864, IFSC Code–SBIN0006379 में अंतरण द्वारा की जायेगी।

8. राशि की निकासी के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना द्वारा Execution Case No. 43 of 2020 में दिनांक–28.07.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में मेसर्स इंडियन पोटाश लिमिटेड के नाम से बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना में जमा किया जाएगा।

9. प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त है।

10. स्वीकृत्यादेश के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/–

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 01/बजट–822/2026– /पटना, दिनांक अगस्त, 2026

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 01/बजट–822/2026– /पटना, दिनांक अगस्त, 2026

प्रतिलिपि– विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 01/बजट–822/2026– /पटना, दिनांक अगस्त, 2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 01/बजट–822/2026– 325 ईखा ICC /पटना, दिनांक 19 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि–आई० टी० प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

Ajit sir let 99
Ajit sir let 99